16 (6) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की राजनितिक गतिविधियों पर प्रतिबंध

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर पहले भी गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया गया है। परिणामतः कतिपय उपक्रमों को उनके कर्मचारियों की राजनैतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से संवेदनशील पाया गया। इन उपक्रमों की सूची अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को तारीख 21 जुलाई, 1984 (प्रतिलिपि उपर्युक्त क्रम सं. 105 पर संलग्न) के समसंख्यक अर्ध–शासकीय पत्र द्वारा तद्नुसार सलाह दी गई थी।

2. अब सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के अधिकारियों के संबंध में भी इसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। आचरण, अनुशासन और अपील नियमों में संशोधन करके अधिकारियों की निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता हैः–

i) किसी राजनीतिक दल अथवा ऐसे संगठन का पदाधिकारी बनना जो राजनीति से जुड़ा हो,
ii) किसी स्वरूप के किसी भी आंदोलन/दंगे–फसाद अथवा प्रदर्शन में हिस्सा लेना अथवा किसी भी रूप में सहायता करना,
iii) किसी विधान मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में हिस्सा लेना,
iv) किसी विधान मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में प्रचार करना।

3. अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों पर ये प्रतिबंध लगाने संबंधी आवश्यक अनुदेश जारी करें।

(लोक उद्यम ब्यूरो का तारीख 23 फरवरी, 1988 सं. 15 (7)/83–जीएम)